निविदा दस्तावेज

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

में

मैनपावर एवं हाउस कीपिंग सेवा हेतु कर्मी उपलब्ध कराने के लिए सेवा अनुबंध

स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध
IN PURSUIT OF CLEAN ENVIRONMENT

आंचलिक कार्यालय (उत्तर)
पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ-226010

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आंचलिक कार्यालय (उत्तर)
पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर
लखनऊ- 226010

जेडओएल/प्रशा/59/खण्ड–VI/ 01 मार्च 2016

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठन है। केन्द्रीय बोर्ड के आँचलिक कार्यालय (उत्तर) पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ एवं परियोजना कार्यालय, आगरा हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार मासिक वेतन के आधार पर निम्नानुसार मैनपावर/कर्मियों की आवश्यकता है–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कुशल श्रेणी	अर्द्धकुशल	अकुशल श्रेणी
1.	आँचलिक कार्यालय, लखनऊ	03	–	02
2.	परियोजना कार्यालय, आगरा	07	01	01

नियम व शर्ते निम्न हैं –

1. निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को दिनाँक **06.04.2016** को अपराह्न 2.00 बजे तक भेजी जानी है। निविदा की तकनीकी बोली **06.04.2016** को सायं 3.00 बजे खोली जायेगी।
2. एजेंसी का दायित्व –एजेंसी निर्धारित केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये न्यूनतम मजदूरी दर के साथ ई.पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस, सेवाकर, सर्विस चार्ज का विवरण स्पष्ट रूप से दें।
3. एजेन्सी मांग के अनुसार प्रशिक्षित तथा अनुभवी दैनिक/मासिक वेतन के आधार पर सफाई कर्मी तथा आवश्यकतानुसार कुशल/अकुशल/अर्द्धकुशल

श्रेणी के कर्मी उपलब्ध करायेगी। सफाई कर्मी (अकुशल श्रेणी) का होना चाहिए।

4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी कर्मी को बदला या हटाया जा सकता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एजेंसी को निर्धारित दर पर भुगतान मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। यदि अनुबंध के नियम व शर्तों के अनुसार बिल प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भुगतान किसी स्थिति में नहीं किया जायेगा। अतिरिक्त स्टॉफ की आवश्यकता होने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित किये जाने के एक सप्ताह के अन्दर एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा।

5. सामान्यतः सफाई कर्मी के लिए (सोमवार से शनिवार) आने व जाने का समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (08 AM – 05 PM) एवं शेष कर्मियों के लिए कार्यालय के समयानुसार – प्रातः 9.30 से सायं 6.00 बजे तक मान्य होंगें।

6. एजेंसी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर/कर्मियों को भविष्यनिधि एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।

7. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मैनपावर/कर्मियों से सम्बन्धित सभी नियम, सेवा शर्तें, भुगतान, उपस्थिति, अनुशासनात्मक मामलों में पूर्ण रूप से एजेंसी के प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण में रहेंगें। किंतु वे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समय-समय पर लागू होने वाले नियम व कानूनों के अनुसार कार्य करेंगें।

8. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी परिस्थिति में कोई भी मैनपावर/कर्मी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी नहीं माने जायेंगें तथा उक्त कर्मचारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी किसी भी दशा में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रोजगार एवं भुगतान इत्यादि की माँग नहीं करेंगें।

9. भुगतान केवल एजेंसी को एकाउण्ट पेयी चेक द्वारा ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर सत्यापन के उपरान्त अगले माह की 10 तारीख या उससे पहले भुगतान किया जायेगा। आयकर नियम के अनुसार आवश्यक टी.डी.एस. भी मासिक बिल से काटा जायेगा।

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोनों पक्षों के मध्य तय राशि के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/भुगतान/राशि किसी भी रूप में देय नहीं होगी।

11. एजेंसी को कार्य करने हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति लिखित रूप से आवश्यक होगी। कॉन्ट्रेक्ट (संविदा) की अवधि अवार्ड पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की होगी। इसे दोनों पक्षों की सहमति से सक्षम अधिकारी के विवेकानुसार समाप्त होने से पहले अधिकतम दो वर्षों तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एजेंसी द्वारा अपेक्षित सेवा न देने अथवा अपेक्षित कागजात उपलब्ध न कराने की स्थिति में कॉन्ट्रेक्ट की अवधि को कम या रद्द भी किया जा सकता है।

12. नियुक्ति से पहले एजेंसी से उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। कर्मचारियों की उपस्थिति कम होने पर बिल में से समतुल्य (Proportionate) भुगतान काट लिया जायेगा। कर्मचारी द्वारा ड्यूटी में कोताही बरतने पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को होने वाले नुकसान को दोनों पक्षों की जाँच के पश्चात् एजेंसी के बिल से काटकर पूरा किया जायेगा। नुकसान की राशि किसी महीने के बिल से अधिक होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

13. एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी नियुक्त मैनपावर/कर्मियों के चरित्र, चालचलन, पहचान पत्र की प्रमाणिकता आदि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे।

14. निविदा दाता को ई.एम.डी. राशि के रूप में ₹ 5,000/– (रूपये पाँच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो "केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" लखनऊ के पक्ष

में देय हो, जमा करना आवश्यक है। बिना ई.एम.डी. राशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

15. निविदा में गैर चयनित एजेंसियों को ई.एम.डी. राशि (एजेंसी चयनित होने या निविदा खुलने की तिथि के तीन माह (जो पहले हो, के अन्दर) बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी तथा चयनित एजेंसी की राशि धरोहर राशि के साथ समायोजित कर ली जायेगी। अनुबंध खत्म होने के पश्चात् यह राशि बिना ब्याज के उक्त एजेंसी को वापस कर दी जायेगी।

16. चयन होने की स्थिति में एजेंसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास धरोहर/सुरक्षा राशि (सिक्युरिटी मनी) ₹ 20,000/- जमा करानी होगी जो किसी भी कर्मी द्वारा ड्यूटी पर कोताही बरतने की स्थिति में, चोरी या सम्पत्ति का अन्य नुकसान की बतौर भरपाई होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी बढ़ोत्तरी दर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के उपरान्त ही संशोधित की जा सकती है। इस स्थिति में फर्म के सेवा शुल्क में कोई बढोत्तरी नहीं होगी।

18. अनुबंध के दौरान करार को कभी भी एक माह के पूर्व नोटिस द्वारा अथवा किसी भी समय (एजेंसी को एक माह के भुगतान द्वारा) रद्द किया जा सकता है।

19. प्रत्येक मैनपावर/कर्मी को दिये जाने वाली न्यूनतम मजदूरी, अन्य वैधानिक देय जैसे कर्मचारी राज्य बीमा शुल्क, कर्मचारी भविष्य निधि आदि का विस्तृत ब्यौरा समय-समय/मासिक आधार पर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा

20. निविदादाता आवश्यक रूप से नोट करें कि मात्र न्यूनतम मजदूरी दर ही चयन की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी संगठन/पब्लिक

सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में हाउस कीपिंग/मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वर्तमान में 03 या अधिक सरकारी कार्यालयों के साथ कार्य करने वाले ऐजेन्सी को वरीयता दी जायेगी। वर्तमान कार्य के साक्ष्य निविदादाता को अपने अनुबंध पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

21. <u>एजेंसी को निम्न प्रमाण-पत्र/पंजीकरण पत्र तकनीक बिड में प्रस्तुत करने आवश्यक है</u>-

क) सरकारी संगठन/पब्लिक सेक्टर यूनिट/स्वायत्तशासी संगठन में मैनपावर एवं हाउस कीपिंग सेवा कार्य कराने का 02 वर्ष का अनुभव पत्र तथा साथ ही वर्तमान में 02 या अधिक सरकारी करार का प्रमाण-पत्र।

ख) रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ में पंजीकरण

ग) कर्मचारी भविष्य निधि पंजीकरण पत्र

घ) सेवाकर पंजीकरण पत्र

ड.) जिन संस्थाओं के साथ काम किया है/कर रहे हैं, की सूची

च) फर्म/ फर्म मालिक का स्थायी खाता सं0 (P.A.N.)

छ) पिछले 02 वर्ष की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व राज्य कर्मचारी बीमा योजना (ESIC) की स्टीच्युरि रिटर्न्स

ज) ₹ 5,000/-(पाँच हजार मात्र) की धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के नाम देय हो।

झ) फर्म आई. एस. ओ. प्रमाणित होनी चाहिए (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)

22. निविदा दो अलग-अलग लिफाफों में एकल स्तर लिफाफा के द्वारा जमा करना है। लिफाफे के ऊपर हाउस कीपिंग/मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु पात्रता की तकनीकी विड सं. .... दिनांक .... अंकित करें। दूसरे लिफाफे के अन्दर एजेंसी द्वारा मूल्य की घोषणा की जायेगी और लिफाफे के ऊपर साफ अक्षरों में मैनपावर सेवा उपलब्ध कराने हेतु मूल्य विड सं. .... दिनांक .... अंकित करें। दोनों सील्ड लिफाफों को एक लिफाफे के

अन्दर रखें जिस पर बड़े साफ अक्षरों में सफाई कर्मी सेवा उपलब्ध कराने हेतु निविदा क्रमांक व दिनाँक........... अंकित हो। पूर्ण रूप से भरी तथा सील्ड निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप में प्रभारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को दिनांक **06.04.2016** को अपराह्न 2.00 बजे तक भेजी जानी है।

23. चयनित एजेन्सी को केन्द्रीय बोर्ड के साथ सेवा हेतु विभिन्न शर्तों के साथ अनुबन्ध करना होगा तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

24. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एजेंसी के मध्य किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड का निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।

03/03/16

(प्रभारी अधिकारी)

Performa

To be submitted on or before ....

1. Agency Name : M/s ....
2. Complete Address : ....
3. Telephone No. (Landline & Mobile): ....
4. Contact Person : ....
5. E-mail ID :..
7. Rate :..

S.No.	Type of Man Power	Rate per month	ESIC	EPF	Total Amount
01.	Skilled				
02.	Semiskilled				
03.	Unskilled				

- **Applicable Service charges : .... %**
- **Applicable Service Taxes : .... %**
- **Other Charges : .... %**

Enclosures: (Please Tick √)

i)	Registration Certificate	[ ]
ii)	Experience Certificates	[ ]
iii)	Service Tax Registration Certificate	[ ]
iv)	EPF Registration Certificate	[ ]
v)	ESIC Registration Certificate	[ ]
vi)	PAN No.	[ ]
vii)	Demand Draft / Cheque of Rs. 5,000/- (No)	[ ]
viii)	List of servicing organizations.	[ ]
ix)	Statuary returns of last 02 year of EPF & ESIC	[ ]
x)	Any Other	[ ]

Authorized Signatory
With full name & Designation

Place:

Company Seal & Date